प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 192/2023

अनवान : –

1. दौलतराम पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. जयकिशन पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. नौरंगलाल पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रोहिताश कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. कुलदीप कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. विमला
7. रोशनी
8. पारो
9. राममूर्ति
10. सन्तोष

    | पुत्रीयान जयकिशन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

11. पूनम पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
12. रीतू पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मदन मोहन जोशी **वादी**
2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 25/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 23/21 की कुल 13.1560 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 18/17 की कुल 25. 0340 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद भूमि है जो भानीराम पुत्र मनीराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है। [illegible] प्रतिवादी स0 1 के साथ बाई बर्थ राईट है अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी [illegible] ता 12 व प्रतिवादी स0 1 अपने हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी [illegible] ने कर्ता खानदान होने के कारण अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जो कतई गल[illegible] दर्ज करवा ली है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसके मुताबिक राजीनामा के वाद भूमि में प्रतिवादी स0 6 ता 12 का जो भी हक हिस्सा है का परित्याग वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 23/21 की कुल 13.1560 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 2 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज रहेंगे एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 18/17 की कुल 25.0340 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 8.3446 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 4.1723 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 व 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं उपरोक्त दोनों खातों की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार घोषणा करवाने पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 13 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 12 की प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा की भूमि है। वाद भूमि में प्रतिवादी स0 6 ता 12 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 12 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 23/21 की कुल 13.1560 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 18/17 की कुल 25.0340 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेज[illegible] की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 12 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 23/21 की कुल 13.1560 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 18/17 की कुल 25.0340 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 8.3446 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 4.1723 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 व 4 बहिब के खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 4.1723 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दोनों खातों की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 192 / 2023

अनवान : –

1. दौलतराम पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. जयकिशन पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. नौरंगलाल पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रोहिताश कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. कुलदीप कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. विमला
7. रोशनी
8. पारो
9. राममूर्ति
10. सन्तोष

(6–10) पुत्रीयान जयकिशन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

11. पूनम पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

12. रीतू पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 192 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 23/21 की कुल 13.1560 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 18/17 की कुल 25.0340 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 8.3446 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 4.1723 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 [illegible] काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 4.1723 [illegible] प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दोनों [illegible] स0 1 का नाम कलमजन किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए [illegible] राय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:29 IST
Reason: SelfAttested

स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:29 IST
Reason: SelfAttested